## No. A-12023/1/2023-Ad.IV-MCA Government of India Ministry of Corporate Affairs

'A' Wing, 5th floor, Shastri Bhawan, Dr. R.P. Road, New Delhi-110001 Dated: 06 June, 2023

To,

- Secretaries to Government of India, All Ministries/Departments of the 1. Government of India.
- All Chief Secretaries to the State Government/Union Territories. 2.
- Registrars General of All High Courts. 3.

Chairperson, IBBI. 4.

- Registrar, National Company Law Appellate Tribunal. 5.
- Secretary, National Company Law Tribunal. 6.
- Secretary, CCI. 7.

Secretary, NFRA, 8.

- Secretary, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), I.P. Estate, New 9 Delhi-110002.
- Secretary, Institute of Cost Accountants of India (ICoAI), Sudder Street, 10. Kolkata.
- Secretary, Institute of Company Secretaries of India (ICSI), Institutional Area, 11. Lodhi Road, New Delhi-110003
- Filling up of 05 (Five) posts of Judicial Member and 05 (Five) posts of Sub: Technical Members in the National Company Law Tribunal (NCLT) - inviting online applications for.

Sir,

I am directed to state that online applications (available on portal https://apptrbmembermca.gov.in) are invited for the 05 (Five) posts of Judicial Members and 05 (Five) posts of Technical Members, National Company Law Tribunal (NCLT) constituted under Section 408 of the Companies Act, 2013, for the vacancies arising in 2024 starting from 10th May, 2024. The number of vacancies are tentative and may decrease or increase without prior notice.

- The selected candidates will be required to serve at any of the already constituted NCLT benches or benches to be constituted in future in different parts of the country in a phased manner with All India transfer liability as per availability of the vacancies/exigencies of work.
- Qualifications for Judicial Member: As per the provisions of Section 409(2) of the Companies Act, 2013, a person shall not be qualified for appointment as Judicial Member unless he/she:-
- (a) is, or has been, a judge of a High Court, or
- (b) is, or has been, a District Judge for at least five years, or
- (c) has, for at least ten years been an advocate of a court.

Explanation - For the purposes of clause (c), in computing the period during which a person has been an advocate of a court, there shall be included any period during which the person has held judicial office or the office of a member of a tribunal or

any post, under the Union or a State, requiring special knowledge of law after he become an advocate.

Qualifications for Technical Member: As per the provision of Section 409 (3) of the Companies Act 2013 as amended by Companies (Amendment) Act, 2017, a person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he/she-

- (a) has, for at least fifteen years been a member of the Indian Corporate Law Service or Indian Legal Service and has been holding the rank of Secretary or Additional Secretary to the Government of India; or
- (b) is, or has been in practice as a chartered accountant for at least fifteen years; or
- (c) is, or has been, in practice as a cost accountant for at least fifteen years; or
- (d) is, or has been, in practice as a company secretary for at least fifteen years; or
- (e) is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than fifteen years, in industrial finance, industrial management, industrial reconstruction, investment, accountancy; or
- (f) is, or has been, for at least five years, a presiding officer of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal constituted under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947).
- 4. A person shall not be eligible for appointment as Member unless he/she has completed the age of 50 (fifty years) [Section 413(2) of Companies Act, 2013] as on the last date of receipt of online application.
- 5. Terms of Appointment: The Member(s) will draw pay in the pay level of 15 as per 7th Central Pay Commission plus allowances as admissible. Pay protection is available for applicants, serving or retired (Government officer or Chairman, Vice-chairman, President, Vice-President, Presiding officer, Member of a Tribunal, Appellate Tribunal or an authority, or a Judge of High Court), who are/were in higher pay scale, including apex scale in Govt. of India. The pay scale and other service conditions would be governed by National Company Law Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of the President and other Members) Rules, 2015. A copy of the rules is also available on the website of the Ministry of Corporate Affairs. A person selected, if already in Government Service, may retain his/her lien with his/her parent cadre or Ministry or Department, as the case may be, while holding office as such for a period not exceeding one year.
- 6. After joining as a Member in the Tribunal, if any Member wishes to apply for other assignments in any organization/post, his/her application will be considered for forwarding to that assignment only after completion of two years of service as Member NCLT.
- 7. Every Member shall hold office for a period of five years from the date on which he/she enters upon his/her office, but shall be eligible for re-appointment for another term of 5 years. The term of appointment is, however, subject to the maximum age limit of sixty-five years.

- 8. Selected candidates will be required to produce a medical fitness certificate before joining.
- 9. Applications of persons working in Court/Government Service/Public Sector Undertaking/other organizations should be forwarded through proper channel within 10 days from the closing date of online application. The forwarding authorities should also certify (in the format given in Annexure of the online application) that the entries in the application have been verified from the records and found correct, and that no disciplinary/vigilance proceedings are either pending or contemplated against the applicant and that no major/minor penalties have been imposed on the officer during the last ten years. The forwarding authorities should enclose the up-to-date Confidential Report Dossiers of the applicant for the last five years.
- 10. Interested persons are advised to visit the portal https://apptrbmembermca.gov.in, in order to submit online application from 10.00 AM of 08.06.2023. The detailed instruction for filling up the application form online are available on the portal (under "Instruction for applying online" heading). All requisite and relevant documents need to be uploaded online while filling up of application. Last date for submitting online application is 19.07.2023 at 05:30 PM.
- 11. Print out of the applications after final submission on online portal duly completed, and signed alongwith copies of uploaded documents, and through proper channel (accompanied by a certificate by the present employer in Annexure), wherever applicable, should reach Shri Riazul Haque, Under Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Room No 526, A 'Wing, 5<sup>th</sup> floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 latest by 05:30 PM of 31.07.2023.
- 12. Wide publication may be given to this advertisement by addressee organizations and their field offices, so as to facilitate early and optimum number of applications.

Yours faithfully,

(Riazul Haque)

Under Secretary to the Government of India

Ph: (011) 23381349

## Copy to:

- 1. Under Secretary, Ad.II Section, MCA for circulation among eligible ICLS Officers
- 2. Technical Director, NIC, MCA with the request to upload the vacancy circular on the portal.
- 3. Technical Director, NIC, DoPT with the request to upload the vacancy circular on the DoPT's website.
- 4. E governance Cell, Ministry of Corporate Affairs with the request to upload the vacancy circular on the website of the Ministry.

	autho	ority)
	Ce	ertified that the particulars furnished by and application
	No	are correct and he/she possesses educational qualifications xperience mentioned in vacancy circular. It is also certified that:-
	(i)	There is no vigilance or disciplinary case pending/contemplated against Sh. /Smt
	(ii)	His/her integrity is certified.
9	(iii)	His/her CR/APAR dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs/APAR for the last five years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary to the Govt. of India or above, are enclosed.
	(i <b>v</b> )	"No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last ten years."
	(v)	A list of major/minor penalties imposed on him/her last ten years is enclosed.
		Signature
		Name and Designation
		Tel. No
		Office Seal
Place :		
Date:		
List of enclo	sures:	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
(Strike out w	hich is i	not applicable)

(Certificate to be furnished by the Employer/Head of office/Forwarding

## सं.ए-12023/1/2023-प्रशा.IV- एमसीए भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

ए विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 दिनांक 🗘 जून, 2023

सेवा में,

- 1. सचिव, भारत सरकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- 2. सभी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य सचिव।
- 3. सभी उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार
- 4. सचिव, आईबीबीआई
- 5. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण।
- 6. सचिव, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण।
- 7. सचिव, सीसीआई
- 8. सचिव, एनएफआरए
- 9. सचिव, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
- 10. सचिव, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई), सदर स्ट्रीट, कोलकाता
- 11. सचिव, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषयः राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में न्यायिक सदस्य के 05 (पांच) पद और तकनीकी सदस्य के 05 (पांच) पदों को भरने के संबंध में - ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाने हेतु

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में 10 मई, 2024 से 2024 में उत्पन्न होने वाली न्यायिक सदस्यों के 05 (पांच) और तकनीकी सदस्यों के 05(पांच) पदों की रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन (https://apptrbmembermca.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध) मंगाए जाते हैं। रिक्तियों की संख्या अनिश्चित हैं और ये बिना किसी पूर्व सूचना के घटाई या बढाई जा सकती हैं।

- 2. चयनित उम्मीदवारों को पहले से गठित एनसीएलटी न्यायपीठों या रिक्तियों/कार्य की अनिवार्यता की उपलब्धता के अनुसार संपूर्ण भारत में स्थानांतरण के दायित्व सिहत चयनबद्ध रीति से देश के विभिन्न भागों में गठित किए जाने वाले एनसीएलटी न्यायपीठों पर कार्य करना अपेक्षित है।
- 3. **न्यायिक सदस्यों की अर्हताएं**: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409(2) के उपबंधों के अनुसार, कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र तब तक नहीं होगा, जब तक कि वह:-
  - (क) उच्च न्यायालय का न्यायधीश हो या रहा हो, या
  - (ख) कम से कम पांच वर्षों के लिए जिला न्यायधीश हो या रहा हो, या
  - (ग) कम से कम दस वर्षों के लिए किसी न्यायलय में अधिवक्ता रहा हो।

स्पष्टीकरणः खंड (ग) के प्रयोजनार्थ, उस अवधि के गणना करते समय, जिसके दौरान एक व्यक्ति किसी न्यायलय में अधिवक्ता रहा है, में ऐसी कोई अवधि जिसके दौरान उस व्यक्ति द्वारा किसी न्यायिक कार्यालय में या किसी अधिकरण के किसी सदस्य के कार्यालय में कोई पद धारण करने या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने की अवधि भी शामिल की जाएगी, जिसमें उस व्यक्ति के अधिवक्ता बनने के पश्चात् विशेष ज्ञान अर्जित करना अपेक्षित होगा।

तकनीकी सदस्य की अईताएं: कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409(3) के उपबंधों के अनुसार, एक व्यक्ति न्यायिक सदस्य की नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह -

- (क) कम से कम 15 वर्षों के लिए भारतीय कारपोरेट विधि सेवा या भारतीय विधि सेवा का सदस्य न हो और भारत सरकार में सचिव या अपर सचिव के पद पर कार्य किया हो; या
- (ख) कम से कम 15 वर्षों के लिए चार्टर्ड लेखाकार के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या
- (ग) कम से कम 15 वर्षों के लिए लागत लेखाकार के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या
- (घ) कम से कम 15 वर्षों के लिए कंपनी सचिव के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या
- (ङ) एक सक्षम, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और जिसके पास विशेष ज्ञान हो और औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक पुनर्गठन, निवेश, लेखांकन में कम से कम 15 वर्षों का व्यवसायिक अनुभव रहा हो; या
- (च) वह व्यक्ति कम से कम पांच वर्षों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन किसी श्रम न्यायलय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी हो या रहा हो।
- 4. एक ऐसी व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसने आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 50 (पचास) वर्ष की आयु [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 413(2)] पूरी कर ली हो।
- 5. नियुक्ति के निबंधनः सदस्य 7वं केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर-15 और इसके अतिरिक्त यथास्वीकृत भत्ते सिंहत वेतन प्राप्त करेंगे। कार्यरत या सेवानिवृत्त (सरकारी अधिकारी या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, पीठासीन अधिकारी, किसी अधिकरण, अपील अधिकरण या किसी प्राधिकरण का कोई सदस्य या उच्च न्यायलय का कोई न्यायधीश) आवेदकों, जो उच्चतर वेतनमान, जिसमें भारत सरकार का अपेक्स वेतनमान भी शामिल है में कार्यरत हैं या थे, के लिए वेतन संरक्षण उपलब्ध है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (सभापति और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2015 द्वारा वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का नियंत्रण किया जाएगा। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर इन नियमों की प्रति उपलब्ध है। चयनित व्यक्ति, यदि पहले से ही सरकारी सेवा में हो तो वह, ऐसे कार्यालय में कार्य करते हुए एक वर्ष की अवधि तक अपने मूल संवर्ग या मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो में अपना दावा रख सकता है।
- 6. अधिकरण में एक सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद, यदि कोई सदस्य किसी संगठन/पद में अन्य असाइनमेंट के लिए आवेदन करना चाहता है, तो सदस्य के एनसीएलटी के रूप में दो साल की सेवा पूरी करने के बाद ही उस असाइनमेंट को अग्रेषित करने के लिए उसके आवेदन पर विचार किया जा सकता है।
- 7 प्रत्येक सदस्य द्वारा उनके कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में पदधारण किया जाएगा, परंतु वह अन्य पांच वर्षों की अवधि के लिए पुनः नियुक्ति का भी पात्र होगा। यद्यपि इस नियुक्ति की अवधि पैसठ वर्ष की अधिकतम आयु के अध्यधीन है।
- 8. चयनित व्यक्तियों द्वारा भर्ती से पूर्व चिक्तिसा फिटनेस प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना अपेक्षित है।
- 9. न्यायालय/सरकारी सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अन्य संगठनों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के आवेदन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख के दस दिनों के भीतर उचित माध्यम से अग्रेषित किए जाएंगे। अग्रेषण प्राधिकारी (ऑनलाइन आवेदन के अनुलग्नक में दिए प्रारूप में) यह भी प्रमाणित करेंगे कि आवेदन में की गई प्रविष्ठियों का अभिलेखों से सत्यापन किया गया है और उन्हें सही पाया गया है, और यह भी कि आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार के अनुशासनात्मक, सतर्कता कार्यवाहियां न तो लंबित हैं और न ही विचाराधीन है और यह कि पिछले दस वर्षों के दौरान उस अधिकारी पर किसी प्रकार के बड़ी या छोटी शास्तियां नहीं लगाई गई हैं। अग्रेषण प्राधिकारी आवेदकों के पिछले पांच वर्षों के अप-टू-डेट गोपनीय रिपोर्ट डोजियर संलग्न करेंगे।

- 10. इच्छुक व्यक्तियों को 08.06.2023 को पूर्वाहन 10.00 बजे से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से <a href="https://apptrbmembermca.gov.in">https://apptrbmembermca.gov.in</a> पोर्टल देखने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन दायर करने के विस्तृत निर्देश पोर्टल ("ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्देश" शीर्षक के अधीन) पर उपलब्ध है। आवेदन दायर करते समय सभी अपेक्षित एवं संगत दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 19.07.2023 अपराहन 05.30 है।
- 11. विधिवत् रूप से पूर्ण और अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति सहित हस्ताक्षरित, और उचित माध्यम (अनुलग्नक में वर्तमान नियोक्ता द्वारा प्रमाणपत्र के साथ) से, जहां कहीं भी लागू हो, आवेदन को ऑनलाइन पोर्टल पर अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के पश्चात् आवेदन का प्रिंटआउट 31.07.2023 अपराहन 05.30 बजे तक श्री रियाजुल हक, अवर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा संख्या 526, ए विंग, पांचवां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 के पास पहुंच जाना चाहिए।

12. प्राप्त करने वाले संगठनों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस विज्ञापन का व्यापक प्रकाशन किया जा सकता है, ताकि आवेदनों की शीघ्र और अधिकतम संख्या को स्गम बनाया जा सके।

भवदीय,

(रियाजुल हक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष संख्याः 23381349

#### प्रतिलिपिः

- 1. अवर सचिव, प्रशा.॥ अन्भाग, एमसीए के पात्र आईसीएलएस अधिकारियों में परिचालन हेत्
- 2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, एमसीए को पोर्टल पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अन्रोध सहित
- 3. तकनीकी निदेशक एनआईसी, डीओपीटी को डीओपीटी वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- 4. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को मंत्रालय की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

### (नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र)

प्रमाणित	न किया जा	ता है कि		. द्वारा	प्रस्तुत	विशिष्टियां	और आवेट	न संख्या		सही है
और वह	रिक्ति परि	रेपत्र में उल्लिखित	शैक्षणिक अर्हता	रं और अ	ानुभव र	खते/रखती	हैं। यह भी	प्रमाणित	किया जाता	है कि:-
(i)	श्री/श्रीमती	के	विरुद्ध किसी	प्रकार की	सतर्कत	गा या अनुश	गसना <i>त्</i> मक	मामला त	नंबित/विचारार्ध	ोन नहीं

- (ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।
- (iii) उनके पांच वर्षों की सीआर/एपीएआर डोजियर मूल रूप में/भारत सरकार के अवर सचिव या उससे ऊपर के के स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित एसीआर/एपीएआर की फोटो प्रतियां, संलग्न हैं।
- (iv) "पिछले दस वर्षों के दौरान उन पर किसी प्रकार की बड़ी या छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है।"
- (v) पिछले दस वर्षों को दौरान उन पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्तियों की सूची संलग्न है।

	3	हस्त	क्षर:		
नाम	एवं	पद॰	नाम:		
6	रूभा	ष सं	ख्या	:	
			का	र्यालय	मुहर

स्थानः ..... तारीखः .....

अनुलग्नकों की सूची

1.

2.

٥.

5

(जो लागू न हो उसे काट दें)

### A-12023/2/2023-Ad.IV-MCA Government of India Ministry of Corporate Affairs

'A' Wing, 5th floor, Shastri Bhawan, New Delhi-10001 Dated, the 0 6June, 2023

#### Vacancy Circular

Sub: Selection for the posts of Judicial and Technical Members in the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) - Inviting applications therefor: -

- 1. Tribunal: The National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) is an Appellate authority established under Section 410 of the Companies Act, 2013, to hear various appeals against the orders/decisions of National Company Law Tribunal (NCLT), under the Companies Act, 2013 and Section 61 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016, the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) under Section 202 and 211 of IBC, 2016, the Competition Commission of India (CCI) under the Competition Act, 2002 and the National Financial Reporting Authority (NFRA) under the Companies Act, 2013. Principal Bench of NCLAT is situated at New Delhi and another Bench is situated at Chennai. Other bench, if any, will be established in future at other places in the country, as decided. A Member, upon selection, may be posted at any of these places.
- 2. Vacancy: Applications are being invited for the following vacancies (the number of vacancies is subject to change without prior notice): -

Post	Number of vacancies	Place	Date of Vacancy
Judicial Member	03	New Delhi or Chennai or other benches, if any, to	09.10.2022 23.10.2023 21.01.2024
Technical Member	02	be established in future at other places in the country.	22.01.2024 14.02.2024

- 3. Qualification and other terms and conditions: The qualifications, eligibility, salary and other terms and conditions of the appointment of a candidate will be governed by the provisions of the Tribunals Reforms Act, 2021 and the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021. Main terms and conditions are following: -
- (i) Qualifications {Sub-rules 11 of Rules 3 of the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021}: -
- (a) Judicial Member: -

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) is a Judicial Member of the National Company Law Tribunal for five years; or (iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to company affairs before National Company Law Tribunal, National

Company Law Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court.

(b) Technical Member: - A person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in law, industrial finance, industrial management or administration, industrial reconstruction, investment, accountancy or any other matter which is useful to the National Company Law Appellate Tribunal.

- (ii) Salary and allowances {Rules 10 and 11 of the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021}: The Member shall be paid a salary of Rs. two lakh twenty-five thousand per month plus other allowances as admissible.
- (iii) Term of office {Section 5 of the Tribunals Reforms Act, 2021}: Every Member of a Tribunal shall hold office for a term of four years or till he/she attains the age of sixty-seven years, whichever is earlier.
- (iv) Minimum age {Section 3 (1) of the Tribunals Reforms Act, 2021}: A person shall not be eligible for appointment as Member in, NCLAT unless he/she has completed the age of 50 (fifty years) as on the last date for submission of applications.

[Note: Cancidates may refer the Tribunals Reforms Act, 2021 and the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021 for other terms and conditions].

- 4. Procedure for selection: The Search-Cum-Section Committee constituted under the Tribunal Reforms Act 2021 for recommending names for appointment to the said post shall scrutinise the applications with respect to suitability of application for the posts by giving due weightage to qualification and experience of candidates and shortlist candidates for conducting personal interaction. The final selection will be done on the basis of overall evaluation of candidates done by the Committee based on the qualification, experience and personal interaction.
- 5. Application Procedure: Eligible and willing persons are advised to visit the portal https://apptrbmembermca.gov.in in order to submit online application from 10:00AM of 08.06.2023. The detailed instruction for filling up the application form online are available on the portal (under "Instruction for applying online" heading). All requisite and relevant documents need to be uploaded online while filling up of application. Last date for submitting online application is 05.07.2023 at 05:30 PM. Print out of the applications after final submission on online portal duly completed, and signed alongwith copies of uploaded documents, is required to be sent to the following address latest by 05:30 PM of 17.07.2023:

Shri Riazul Haque, Under Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Room No 526, 'A' Wing, 5th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110001

- 6. For the person working in any Government/semi-government/courts/Public Sector Undertaking/statutory and autonomous bodies the application should be accompanied with (i) Certificate to be furnished by the employer/ head of office/forwarding authority as in Annexure-I of the application (ii) clear photocopies of the up-to-date CR/APAR dossier of the officer containing CR/APARs of at least last five years duly attested by a Group A officer (iii) cadre clearance (iv) integrity certificate/clearance from vigilance and disciplinary angle as in Annexure-II of the application (v) statement giving details of major or minor penalties, if any, imposed on the officer during the last ten years. The application along with above documents should reach to the address as mentioned in para 5 latest by 05:30 PM of 17.07.2023.
- 7. No TA/DA will be admissible to the candidates to be called for interview/interaction. The candidates are required to make own arrangements.
- 8. Any Application received after due date without necessary Annexure as mentioned above will not be entertained.

(Riazul Haque) Under Secretary to the Govt of India Tel: 23381349

To:

1. Registrar Generals of All High Courts

2. Secretaries to Government of India, All Ministries/Departments of the Government of India

3. All Chief Secretaries to the State Governments/Union Territories

4. All RDs/ROCs/OLs in the Ministry of Corporate Affairs

- Registrar, National Company Law Appellate Tribunal (also requested to upload the vacancy circular on the NCLAT's website)
- 6. Secretary, National Company Law Tribunal
- 7. Secretary, Competition Commission of India
- 8. Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India

9. Secretary, National Financial Reporting Authority

- 10. Technical Director, NIC, MCA with the request to upload the vacancy circular on the online portal.
- 11. Technical Director, NIC, DoPT with the request to upload the vacancy circular on the DoPT's website.
- 12. E-governance Cell, Ministry of Corporate Affairs with the request to upload the vacancy circular on the website of the Ministry.

# CERTIFICATE TO BE FRUNISHED BY THE EMPLOYER/HEAD OF OFFICE/FORWARDING AUTHOTITY

 Certified that the particular furnished Shri/Smt/Kum..... by .....are correct and he/she possesses educational qualifications and experience mentioned in application form. 2. It is also certified that there is no vigilance/disciplinary cases either pending or being contemplated against him/her and vigilance clearance issued by CVO in the enclosed Annexure (II). 3. His/her integrity is certified. minor penalty Shri/Smt/Kum was imposed ......during the last 10 years period. 5. The up-to date attested Photostat copies of ACR/APAR of last years (each Photostat copy of ACR/APAR should be attested) in respect of Shri/Smt/Kum .....in enclosed herewith.

Seal & Signature of the cadre controlling Authority

# PARTICULARS OF THE OFFICERS FOR WHOM VIGILANCE CLEARNCE IS BEING SOUGHT

(To be furnished and signed by the CVO or HOD)

1.	Name	of the	Officer	(in	full)	:
----	------	--------	---------	-----	-------	---

2. Father's name

3. Date of Birth

4. Date of Retirement :

5. Date of entry into service

6. Service to which the officer belongs:

Including batch/Years/cadre etc., wherever applicable

7. Positions held (During ten preceding years):

- Whether the officer has been placed on the agreed list or list of Officer of Doubtful Integrity (if yes, details to be given)
- Whether any allegation of misconduct Involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 Years and if so with what result (\*)
- Whether any punishment was awards to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of penalty (\*)
- 11. Is any disciplinary/criminal proceedings or charge sheet pending against the officer as on date (if so, details to be furnished, including reference number, if any of the Commission)

- 12. Is any action contemplated against the Officer as on date (if so, details to be furnished (\*)
- (\*) if Vigilance clearance had been obtained from the Commission in the past, the information may be provided for the period thereafter.

Date:

(NAME AND SIGNATURE)

# ए-12023/2/2023-प्रशा.IV-एमसीए भारत सरकार

# कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, पाँचवा तल, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 06 जून, 2023

### रिक्ति परिपत्र

विषय: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के पदों पर चयन-आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में

- 1. अधिकरण : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी), कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016 की धारा 61, आईबीसी, 2016 की धारा 202 और 211 के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के निर्णयों/आदेशों के विरुद्ध विभिन्न अपीलों की सुनवाई के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत गठित एक अपील अधिकरण है। एनसीएलएटी की मुख्य पीठ नई दिल्ली मे स्थित है और दूसरी पीठ चेन्नई में स्थित है। अन्य पीठ, यदि कोई हो, तो देश के अन्य भागों में गठित की जाएगी, जैसा भी निर्णय होगा। चयन के पश्चात, कोई सदस्य किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
- 2. रिक्ति : निम्नलिखित रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं (रिक्तियों की संख्या बिना पूर्व नोटिस के परिवर्तनाधीन है):-

पद	रिक्तियों की संख्या	स्थान	रिक्ति की तारीख
न्यायिक सदस्य	03	नई दिल्ली या चेन्नई या अन्य	09.10.2022
		पीठें, यदि कोई हों, जो भविष्य में	23.10.2023
		देश के अन्य स्थानों पर स्थापित	21.01.2024
तकनीकी सदस्य	02	की जाएगी।	22.01.2024
			14.02.2024

- 3. अर्हताएं और अन्य निबंधन एवं शर्तें : अभ्यर्थी की अर्हताएं, पात्रता, वेतन और नियुक्ति की अन्य निबंधन और शर्तें, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के उपबंधों द्वारा शासित होंगी। मुख्य निबंधन और शर्तें निम्नानुसार हैं :
  - (i) अईताएं [अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 3 का उप-नियम 11] :-
  - (क) न्यायिक सदस्य:-
    - (i) जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा हो; या
    - (ii) पांच वर्ष तक राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का न्यायिक सदस्य रहा है; या

- (iii) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी मामलों से संबंधित मामलों में मुकद्में में पर्याप्त अनुभव के साथ दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है।
- (ख) तकनीकी सदस्य:- एक सिद्ध सक्षम, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिसके पास विधि, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन या प्रशासन, औद्योगिक पुननिर्माण, निवेश, लेखांकन या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को उपयोगी किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान और न्यूनतम पच्चीस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव रहा हो।
- (ii) वेतन और भत्ते (अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2021 का नियम 10 और 11):- सदस्य को यथास्वीकृत भत्ते सहित दो लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा।
- (iii) सेवा अविध (अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 5):- अधिकरण के प्रत्येक सदस्य की कार्याविध चार वर्ष की अविध के लिए अथवा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।
- (iv) न्यूनतम आयु (अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 3(1)):- कोई व्यक्ति एनसीएलएटी में सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि आवेदन जमा करने के लिए उन्होंने अंतिम तारीख को 50 (पचास वर्ष) पूरे न कर लिए हों।

[टिप्पण: अन्य निबंधन और शर्तों के लिए अभ्यर्थी अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2021 देखें]

- 4. चयन की प्रक्रिया:- उक्त पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के तहत गठित छानबीन-सह-चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यता और अनुभव को सम्यक वेटेज देते हुए पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में आवेदनों की जांच करेगी तथा वैयक्तिक अंतःक्रिया के लिए अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची बनाएगी। अंतिम चयन समिति द्वारा योग्यता, अनुभव और वैयक्तिक अंतःक्रिया पर आधारित अभ्यर्थियों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
- 5. आवेदन की प्रक्रिया:- पात्र और इच्छुक व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 08.06.2023 को पूर्वाहन 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु https://apptrbmembermca.gov.in पोर्टल देखें। ऑनलाइन आवेदन प्ररूप भरने के लिए विस्तृत अनुदेश ('ऑनलाइन आवेदन' हेतु दिशा-निर्देश' शीर्षक के तहत) पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आवेदन भरते समय सभी अपेक्षित और संगत दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड किए जाने की आवश्यकता है। आनलाइन आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 05.07.2023 को अपराहन 5:30 बजे तक है। ऑनलाइन पोर्टल पर विधिवत रूप से परिपूर्ण एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का प्रिंट आउट, हस्ताक्षरित प्रतियां सहित निम्नलिखित पते पर 17.07.2023 को अपराहन 05:30 तक भेजी जानी अपेक्षित है:

श्री रियाजुल हक, अवर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा सं. 526, ए विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

6. किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/न्यायालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक और स्वायत निकायों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए आवेदन के साथ (i) आवेदन के अनुलग्नक-। के रूप में नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र (ii) समूह क अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित न्यूनतम पिछले पांच वर्षों की सीआर/एपीएआर वाले अधिकारी के अप-टू-डेट सीआर/एपीएआर की स्वच्छ फोटो

प्रतियां (iii) संवर्ग स्वीकृति (iv) आवेदन के अनुलग्नक-II के रूप में सतर्कता और अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र/स्वीकृति (v) पिछले दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई किसी बड़ी या छोटी शास्तियां, यदि कोई हो, का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न किया जाना चाहिए। उपरोक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन पैरा 5 में उल्लिखित पते पर 17.07.2023 को अपराहन 5:30 बजे तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

7. साक्षात्कार/परिचर्चा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कोई टीए/डीए ग्राहय नहीं होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि अपनी व्यवस्था स्वयं करें।

8. निर्धारित तारीख के पश्चात् तथा उपरोल्लिखित आवश्यक अनुलग्नक के बिना प्राप्त किए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

> (रियाजुल हक) अवर सचिव

द्रभाष : 011-23381349

सेवा में,

- 1. सभी उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार
- 2. सचिव, भारत सरकार, सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार
- 3. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
- 4. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सभी प्रादेशिक निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक
- 5. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (इस अनुरोध के साथ कि इस रिक्ति परिपत्र को एनसीएलएटी की वेबसाइट पर अपलोड करें)
- 6. सचिव, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
- 7. सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- 8. अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
- 9. सचिव, राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
- 10. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, एमसीए को रिक्ति परिपत्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- 11. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीओपीटी को रिक्ति परिपत्र डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के अन्रोध के साथ।
- 12. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को रिक्ति परिपत्र मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर

1.	(नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण-पत्र) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ट्वारा दी गई विशिष्ट जानकारी सही है तथा वह आवेदन फार्म में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखते/रखती हैं।
2.	यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है और सीवीओ द्वारा जारी की गई सतर्कता अनापत्ति अनुलग्नक (II) में संलग्न है।
3.	उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।
4.	पिछले 10 वर्षों के दौरान श्री/श्रीमती/कुपर कोई प्रमुख या गौण शास्ति आरोपित नहीं की गई है।
5.	श्री/श्रीमती/कुके संबंध में पिछले वर्षों की एसीआर/एपीएआर की अप-टू-डेट सत्यापित फोटोस्टेट प्रतियाँ (एसीआर/एपीएआर की प्रत्येक फोटोस्टेट प्रति सत्यापित होनी चाहिए) इसके साथ संलग्न हैं।

# उन अधिकारियों का विवरण जिनके लिए सतर्कता अनापति मांगी गई है (सीवीओ या एचओडी द्वारा प्रस्तुत और हस्ताक्षर किए जाने के लिए)

- 1. अधिकारी का नाम (पूरा)
- 2. पिता का नाम
- 3. जन्म तिथि
- 4. सेवानिवृत्ति की तारीख
- 5. सेवा में प्रवेश की तिथि
- 6. अधिकारी से संबंधित सेवा बैच/वर्ष/कैडर आदि सहित, जो भी लागू हो।
- 7. धारित पद (पूर्ववर्ती दस वर्षों के दौरान)

क्र.सं.	संस्था (पूरा नाम)	पदनाम तथा तैनाती का स्थान	संबंधित प्रशासनिक/नोडल मंत्रालय/विभाग (पीएसयू आदि के अधिकारी के	से	तक
			संबंध में)		

- 8. क्या अधिकारी को सहमित सूची या संदिग्ध : सत्यिनिष्ठा के अधिकारियों की सूची में रखा गया है (यदि हां, तो ब्यौरा दें)
- 9. क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी के : विरुद्ध सतर्कता दृष्टिकोण सहित कदाचार के किसी भी आरोप की जांच की गई थी? यदि हां, तो क्या परिणाम था (\*)
- 10 क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी और यदि हां, तो लगाए जाने की : तारीख और दंड का ब्यौरा दें (\*)

11. क्या अधिकारी के विरुद्ध आज की तारीख में : कोई अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही या आरोप पत्र लंबित हैं (यदि है, तो ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए, आयोग की संदर्भ संख्या, यदि कोई है सहित) :

12. क्या आज की तारीख के अनुसार अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का विचार है (यदि हां, तो ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए) (\*)

(\*)यदि आयोग से विगत में सतर्कता अनापित प्राप्त की गई है, तो उसके बाद की अवधि की जानकारी प्रदान की जाए।

तारीख:

(नाम एवं हस्ताक्षर)